



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12355

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-385 वर्ष 2025

अयान आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अनिल कुमार दुबे, अरुण भानु शुक्ला, चंद्र भानु दुबे, शुभांगिनी द्विवेदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक की अधिवक्ता सुश्री शुभांगिनी द्विवेदी के साथ-साथ राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री जय किशन चौरसिया को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-94 वर्ष 2024 (2024 के सत्र विचारण संख्या-1454) में धारा 302, 452, 307, 394, 411, 34 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली, जिला: मेरठ के तहत दायर किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। आवेदक की पहचान के लिए विवेचनाधिकारी द्वारा कोई उचित परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की जाती है, बल्कि घायल व्यक्ति को उसकी तस्वीर दिखाकर उसकी पहचान की जाती है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 25.6.2024 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. तत्सम्य विपरीत, राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि यह एक खुला और बंद मामला है क्योंकि आवेदक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था और घायल व्यक्ति द्वारा उसकी पहचान की गई है, इस तरह, वह ज़मानत का हकदार नहीं है।

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है और घायल व्यक्ति द्वारा उसकी पहचान की गई है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता।

7. ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार **खारिज** किया जाता है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्र निर्णय लिया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 19, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)